न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: जयसिंह (नायब तहसीलदार)

मिसल न. ::: 3/ 2020

सरकार बनाम गुरूदयाल पुत्र सागरराम जाति–मेघवाल, निवासी– ढाणी ब्राहम्णान

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 24.02.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है। कि गैर सायल गुरूदयाल पुत्र सागरराम जाति–मेघवाल, निवासी–ढाणी ब्राहम्णान द्वारा रोही मोजा ढाणी ब्राहम्णान कि राजकीय भूमि ख. न. 99 के कुल रकबा 0.2800 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0040 है0 भूमि पर पक्का मकान दिवार एवं 0.0060 है0 पर कुरडी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब पेश किया जिसमें रास्ते का भूमि पर अपना कोई अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया है अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेज, साक्ष्य/ सबूत पेश नहीं किये। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरूद्व बेदखली आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5रू. कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

प्रति लिपि

तहसीलदार, सूरजगढ़

2-3-21
2-3-21
2-3-21